

डिक्री बमुकदमें ईबतदाई
अ. आदेश 20 नियम 6-7 व्या.प्रक्रियां संहिता
न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी, संगरिया
पीठासीन अधिकारी:- जय कौशिक आर.ए.एस.
प्रकरण संख्या:- 399/2025

अशोक पुत्र श्री सुखदेव जाति जाट निवासी इन्द्रपुरा तह.संगरिया जिला हनुमानगढ़(राज.)
- वादी

बनाम्

1. सुखदेव कुमार पुत्र श्री दौलतराम जाति जाट निवासी इन्द्रपुरा तहसील संगरिया जिला हनुमानगढ़ (राज.)
2. अनसुईया पुत्री श्री सुखदेव कुमार जाति जाट निवासी इन्द्रपुरा तहसील संगरिया जिला हनुमानगढ़ (राज.)
3. तहसीलदार(राजस्व) संगरिया।


- प्रतिवादीगण

यह राजस्व मुकदमा आज मुझ जय कौशिक आर.ए.एस. के समक्ष वास्ते इन्फिर्मिसल कतई रुबरू हमारे बहाजरी श्री कुलदीप मूण्ड वकील वादी मिन जामिन मुदई श्री गगन मिढा वकील प्रतिवादी संख्या 1 ता 2 मिन जानिब मुदायला पेश होकर हुक्म दिया जाता है व डिक्री दी जाती है कि चक 17 एमजेडी के खाता संख्या 153/119 जमाबन्दी सम्वत 2073-2076 मे प्रतिवादी संख्या 1 सुखदेव कुमार पुत्र दौलतराम के नाम दर्ज कृषि भूमि का वादी अशोक को खातेदार काश्तकार घोषित किया जाकर प्रतिवादी संख्या 1 का नाम कलमजन किये जाने के आदेश दिये जाते है। तथा उक्त निर्णय बाबत यदि किसी न्यायालय में स्थगन आदेश आदि नही है तो राजस्व रिकार्ड में इसका अंकिन किया जावे।

नोट:- यदि प्रश्नगत भूमि बैक रहन हो तो रहन मुक्त होने के पश्चात् ही उक्तानुसार अमल दरामद किया जावे।

निज.....नल.....मुब्लिक.....निल.....बाबत.....निल.....खर्चा
मुकदमें के मय शुद वा शरह फीसदी सालाना आज की तारीख वसूलयाबी तक.....
अदा करें।

बसब मेरे दस्तख्त एवं मुहर अदालत से आज दिनांक 20.8.2025 को जारी किया गया।


(जय कौशिक)
सहायक कलक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी संगरिया